न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़
पीठासीन अधिकारीः अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0नं0 02 / अपील / 24　　　　　　　　　　तारीख दायरा :01.01.2024

उनवान अपील

01. कैलाश चंद

02. तूफानसिंह

03. सुरेशचंद

04. सोदानसिंह पिसरान रोडूलाल

05. बालीबाई पुत्री रोडूलाल

06. दल्लूबाई पत्नी रोडूलाल अकवाम गुर्जर निवासीयान खोरिया तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान .... अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार पचपहाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान ...रेस्पोंडेण्ट

अपील विरूद्ध नामा0 संख्या 506 दिनांक 21.04.2023 ग्राम खोरिया

तहसील पचपहाड़ अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :श्री पूरीलाल राठौर, अभिभाषक अपीलान्ट

:पेरोकार सरकार

दिनांकः11.09.2024

— :निर्णयः —

अपील अपीलांट जर्ये अभिभाषक पेश की गई जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0ख0 भवानीमंडी के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के तहत प्रस्तुत इजराय संख्या 01 / 2020 दिनांक 02.11.2022 में पारित आदेश की पालना में नरेन्द्र कुमार बारेगामा न्यायालय कर्मचारी द्वारा ग्राम खोरिया के खसरा नं0 384 रकबा 1.6691 हैक्टेयर के 1 / 5 हिस्से के सम्बंध में पंजीयन कराया जिसके संबंध में नामान्तकरण संख्या 506 ग्राम खोरिया तहसील पचपहाड़ दिनांक 21.04.2023 को अस्वीकार कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील में अपीलांट ने उल्लेख किया है कि न्यायालय का विवरण लिखा दस्तावेज बिक्रीपत्र संख्या

2
जिला कलक्टर
झालावाड़

20230144000044 नामा0 दर्ज करने की सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष था परन्तु पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में दस्तावेज बिकीपत्र एवं रहन के उल्लेख के आधार पर ही विवेक का इस्तेमाल किए बिना नामा0 अस्वीकार कर दिया जबकि बिक्री दस्तावेज अवैद्य नहीं था, जहां तक रहन का प्रश्न है ग्राम खोरिया के खसरा न0 384 रकबा 1.6691 हैक्टेयर के 1/5 हिस्से के संबंध में पंजीयन कराया था जिसका नामा0 दर्ज कर शेष रही भूमि 4/5 भाग पर रहन दर्ज कर दिया जाना चाहिए था जिससे कि न्यायालय के आदेश की पालना हो सकती थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया। रेस्पो0 की और से जवाब अपील प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पो0 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। पत्रावली वास्ते बहस रखी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के बिन्दुओं को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.2022 में विवादास्पद प्रश्नगत आराजी का पंजीयन जर्ये न्यायालय कर्मचारी दिनांक 03.01.2023 को करवाया था जिसकी पालना में नियमानुसार तहसीलदार पचपहाड़ को अपीलांट के पक्ष में नामा0 तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाना था, जो नहीं किया जाकर माननीय न्यायालय के आदेशों की अव्हेलना एवं विधि अनुरूप नामा0 तस्दीक नहीं किया जाकर खारिज किया गया है जो सही नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा पारित निर्णय नामा0 506 ग्राम खोरिया तहसील पचपहाड़ दिनांक 21.04.2023 अपास्त फरमाया जाकर पुनः नये सिरे से इंतकाल खोले जाने हेतु आदेशित किया जावे।

पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में बताया कि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, मुताबिक निर्णय उपपंजीयक द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर विवादास्पद आराजी के इंतकाल खोले जाने के कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिये गए है साथ ही पेरोकार ने यह भी बताया कि प्रश्नगत आराजी रेस्पो0 के वारिसान के नाम उक्त आराजी एसबीआई बैंक भवानीमण्डी में रहन होने से नियमानुसार रजिस्ट्री का नामा0 दर्ज नहीं किया जा सकता था इसलिए पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर नामा0 संख्या 506 निरस्त किया गया है जो सही होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है, अपील खारिज की जावे।

जिला कलक्टर
झालावाड़

हमने बहस वकील अपीलांट एवं पेरोकार सरकार सुनी तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। विवादास्पद इंतकाल संख्या 506 दिनांक 21.04.2023 इस आशय से निरस्त किया गया है माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.11.2022 में पारित निर्णय में पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर नामा0 खोले जाने के स्पष्ट निर्देश नहीं है साथ ही उक्त आराजी एसबीआई भवानीमण्डी में रहन है। तहसीलदार पचपहाड़ के इस कृत्य से यह न्यायालय पूर्ण रूप से सहमत नहीं है क्योंकि किसी भी प्रकार की सम्पत्ति /आराजी उपपंजीयक के द्वारा पंजीबद्ध होती होती है तो पंजीयन के नियमों के तहत उसका राजस्व रेकार्ड में सशर्त नियमानुसार अंकन किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नामा0 506 दिनांक 21.04.2023 अपास्त किया जाता है एवं **आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार तहसील पचपहाड़ माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.11.2022 के परिपेक्ष में विधिक राय लेकर विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया के तहत नये सिरे से नामान्तकरण तस्दीक करें।** निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील पचपहाड़ को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़